

आज पत्रावली कडा है। वादी व वादी के
वकील अनुपस्थित। पत्रावली में बार-बार
अवाज दिलवा गई। लेकिन कोर्ट की सुफु
नहीं आते। न ही कोई सूचना दी जा रही है।
न ही कोई सूचना दी जा रही है। इससे
जानें होता है कि वादी वाद चलाना ही
नहीं चाहते हैं। अतः वादी का वाद अदालत
पैरवी अदालत घंटी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर में बसा
हो। वाद नकलीय करिवल पत्र हो।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर) राज

